# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ

पीठासीन अधिकारी – हरिसिंह मीना (आर.ए.एस.)

**प्रकरण संख्याः टी.ए. 12/2020**

**पंजीयन दिनांकः 18.03.2020**

रामेश्वर पिता मांगु जाति कुम्हार निवासी बड़ोदिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ

**–अपीलान्ट**

**बनाम**

1. नानुराम पिता मांगु जाति कुम्हार–मृतक के बजाय
   1. गंगाबाई पत्नि नानुराम जाति कुम्हार निवासी बड़ोदिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ
2. बालुराम पिता मोतीलाल जाति लौहार निवासी बड़ोदिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ
3. भूमिधारी तहसीलदार तहसील व जिला चित्तौड़गढ

**–रेस्पोडन्टगण**

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध निर्णय एवं आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ
प्रकरण संख्या 26/2020 प्रार्थना पत्र निर्णय एवं आदेश दिनांक 25.02.2020

**उपस्थित वक्त बहस**
1. राजेन्द्र कुमार राजोरा– अधिवक्ता अपीलान्ट
2. प्रेमलता गोस्वामी– अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1/1
3. रेस्पोडेन्ट सं. 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित
4. पूरणमल स्वर्णकार–राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 3

**निर्णय** **दिनांक :– 12.01.2023**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अपीलान्ट प्रार्थी ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 रेस्पोडेन्टगण विपक्षीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मोजा बड़ोदिया तहसील चित्तौड़गढ के नवीन आराजी नम्बर 539 रकबा 0.0550 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 540 रकबा 0.28 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.3350 हैक्टेयर जो अपीलान्ट प्रार्थी व रेस्पोडेन्ट सं. 1 विपक्षी के संयुक्त खातेदारी की है। पांती बंटवाडा कराये बिना रेस्पोडेन्ट सं. 1 विपक्षी ने अपना 1/2 हक व हिस्सा रेस्पोडेन्ट सं. 2 को दिनांक 09.11.2019 को विक्रय कर रजिस्ट्री करा दी। रेस्पोडेन्ट सं. 2 द्वेषतावश खरीदशुदा कृषि आराजीयात का खाता खुलवाकर अपीलान्ट प्रार्थी के हक व हिस्से पर अनाधिकार कब्जा करना चाहता है एवं रेस्पोडेन्ट सं. 2 अजनबी व्यक्ति है जिससे रेस्पोडेन्टगण विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ (राज.)

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे अपीलान्ट प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टगण विपक्षीगण के सम्मन नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेन्टगण विपक्षी सं. 1 व 2 ने जरिये अधिवक्ता अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त कृषि आराजीयात अविभाजित होना एवं अपीलान्ट प्रार्थी की सहमति के बिना विक्रय करना स्वीकार किया। प्रथम दृष्टया प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो अनुसार अधिक क्षति एवं सुविधा प्रार्थी अपीलान्ट के पक्ष मे साबित नही मानते हुए अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट प्रार्थी ने इस न्यायालय मे प्रथम अपील प्रस्तुत की है।

इस न्यायालय मे अपीलान्ट प्रार्थी की ओर से रेस्पोडेन्टगण विपक्षीगण के विरूद्ध अपील प्रस्तुत होने पर अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण विपक्षीगण जरिये सम्मन नोटिस तलब किये गये। रेस्पोडेन्ट सं. 1/1 विपक्षी जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट सं. 3 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट सं. 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहा। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट प्रार्थी ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे वर्णित तथ्यो को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे अपीलान्ट प्रार्थी ने रेस्पोडेन्ट विपक्षी सं. 1 के संयुक्त खातेदारी मे दर्ज कृषि आराजी नम्बर 539,540 के सम्बन्ध मे अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया व यह निवेदन किया कि उक्त कृषि आराजीयात अपीलान्ट प्रार्थी व रेस्पोडेन्ट सं. 1 विपक्षी के संयुक्त खातेदारी की है। संयुक्त खातेदारी मे रहते हुए रेस्पोडेन्ट सं. 1 विपक्षी ने उक्त कृषि आराजीयात मे से अपना हक व हिस्सा रेस्पोडेन्ट सं. 2 विपक्षी को विक्रय कर दिया जाने से रेस्पोडेन्ट सं. 2 अजनबी व्यक्ति होते हुए अपीलान्ट प्रार्थी के कब्जे काश्त मे दखलदांजी करना चाह रहा है जिससे अपीलान्ट प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का बिन्दू अपीलान्ट प्रार्थी के पक्ष मे होते हुए अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे अपीलान्ट प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने के निर्णय व आदेश पारित किये है जिससे अपीलान्ट प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1/1 विपक्षी ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट सं. 1/1 विपक्षीया के पति विवादित कृषि आराजीयात के सहखातेदार रहे है जिसमे रेस्पोडेन्ट सं. 1/1 विपक्षीया के पति का 1/2 हक व हिस्सा दर्ज रेकार्ड रहा है। अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा रेस्पोडेन्ट सं. 1/1 विपक्षीया के पति ने रेस्पोडेन्ट सं. 2 को विक्रय कर कब्जा सुपुर्द किया है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 विपक्षी को अपनी बीमारी के ईलाज हेतु रूपयो की आवश्यकता थी। वैध आवश्यकता के कारण संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजीयात मे अपना निहित हिस्सा विक्रय किया है, जिससे रेस्पोडेन्ट सं. 2 अजनबी व्यक्ति नही होकर अपीलान्ट प्रार्थी का हिस्सेदार है। हिस्सेदार के विरूद्ध हिस्सेदार

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही होने से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा निरस्त किये जाने मे किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नही की है, जिससे अपीलान्ट प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 3 विपक्षी ने अपनी बहस मे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 25.02.2020 को विधिसम्मत होना बताते हुए अपीलान्ट प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओ की ओर से प्रस्तुत बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट प्रार्थी ने रेस्पोडेन्ट सं. 2 जो रेस्पोडेन्ट सं. 1 का क्रेता है। उक्त कृषि आराजीयात मे रेस्पोडेन्ट सं. 2 ने खरीद से 1/2 हक व हिस्से पर कब्जा प्राप्त किया है, फिर भी अपीलान्ट प्रार्थी ने रेस्पोडेन्ट सं. 2 को अजनबी व्यक्ति होना बताते हुए रेस्पोडेन्ट सं. 2 के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा चाही है। रेस्पोडेन्ट सं. 2 ने विवादित कृषि आराजीयात वैध रूप से रेस्पोडेन्ट सं. 1 से जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 18.11.2019 को क्रय की है। एक हिस्सेदार दुसरे हिस्सेदार के विरूद्ध कानूनन अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है जिससे अपीलान्ट प्रार्थी की ओर से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष मे नही था। सुविधा का संतुलन भी अपीलान्ट प्रार्थी के पक्ष मे नही होना व अपूर्णीय क्षति का बिन्दु रेस्पोडेन्ट सं. 2 के पक्ष मे मानते हुए अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को निरस्त करने मे किसी प्रकार की वैधानिक त्रुटि कारित करना नही पाया जाता है। अपीलान्ट प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलान्ट प्रार्थी अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के प्रकरण संख्या 26/2020 प्रार्थना पत्र मे पारित निर्णय व आदेश दिनांक 25.02.2020 यथावत रखे जाते है।

निर्णय आज दिनांक 12.01.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

निर्णय की सत्य प्रति के साथ अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली अविलम्ब लौटाई जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ (राज.)